<u>सीमा और तटीय क्षेत्रों का इतिहास, भूगोल और स्थलाकृति</u>

Period : Two

Type : Lecture

Conduct : ANO/CTO

<u>प्रशिक्षण एड्स</u>

1. कंप्यूटर, स्लाइड, प्रोजेक्टर, चार्ट, सूचक, ब्लैक बोर्ड और चाक

<u>टाइम प्लान</u>

2. यह व्याख्यान निम्नलिखित भागों में आयोजित किया जाएगा:-

(a)	परिचय	- 05 Mins
(b)	भाग I- सीमाओं के प्रकार	- 30 Mins
(c)	भाग-II- ऐतिहासिक सीमाएं	- 25 Mins
(d)	भाग-भूगोल और स्थलाकृति	- 18 Mins
(e)	निष्कर्ष	- 02 Mins

<u>परिचय</u>

3. एक राष्ट्र अपनी भौगोलिक सीमाओं के माध्यम से अपनी पहचान प्राप्त करता है क्योंकि हम उस देश के राजनीतिक मानचित्र के माध्यम से इसका निरीक्षण करते हैं । इसी प्रकार भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले सभी लोगों की पहचान उस देश के नागरिक के रूप में की जाती है । इतिहास का हमारा अध्ययन हमें बताता है कि ये सीमाएं स्थायी प्रकृति की नहीं हैं और समय के साथ बदलती रही हैं । प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि जर्मनी दुनिया पर शासन करना चाहता था और अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता था । दूसरी ओर जब पूर्ववर्ती सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो अपनी भौगोलिक सीमाओं वाले कई छोटे देश उभरे । भारत पाकिस्तान और चीन के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है । इस पृष्ठभूमि में हमारी अपनी सीमाओं, इसके इतिहास, भूगोल और स्थलाकृति के बारे में जानना महत्वपूर्ण है ।

DG NCC

भाग I - सीमाओं के प्रकार

4. **भौगोलिक सीमाएं।**

(a) **भूमि सीमाएं।** भारत अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, उत्तर या उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भूमि सीमाओं के साथ सीमाओं को साझा करता है । हम उनके बारे में एक-एक करके जानेंगे।

(i) **अफ़गानिस्तान।** मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो वर्तमान में पीओके में मौजूद है।

(ii) **बांग्लादेश।** भारत और बांग्लादेश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक हैं और इसकी लंबाई 4,156 किमी है और इसकी समुद्र तट 580 किमी है। बांग्लादेश के राज्य राजाशाही, ढाका, चटगांव, खुलना, रंगपुर और सिलहट भारत के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं ।

(iii) **भूटान।** भूटान-भारत सीमा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो 699 किमी लंबी है, और भारतीय राज्यों असम (267 किमी), अरुणाचल प्रदेश (217 किमी), पश्चिम बंगाल (183 किमी) और सिक्किम (32 किमी) के साथ है।

(iv) **चीन।** दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश करीब 95,96,960 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत-चीन सीमा के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी सेक्टरों में 9,000 फुट से लेकर 18,700 फुट तक की ऊंचाई पर हिमालय पर्वत श्रृंखला के साथ 3,488 किलोमीटर की भारत-चीन सीमा चलती है।

(v) **म्यांमार।** म्यांमार पूर्वोत्तर भारत में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्यों के दक्षिण और पूर्व में स्थित है। भारत-बर्मी सीमा 1,643 किलोमीटर से अधिक फैली हुई है। लंबी जमीन सीमा के अलावा भारत और म्यांमार भी भारत के अंडमान द्वीप समूह के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं।

(vi) **नेपाल।** भारत-नेपाल सीमा भारत और नेपाल के बीच चलने वाली खुली अंतरराष्ट्रीय सीमा है। 1,751 किलोमीटर लंबी इस सीमा में हिमालय के क्षेत्रों के साथ-साथ भारत-गंगा मैदान भी शामिल है। नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच 1816 की सुगाली संधि के बाद वर्तमान सीमा सीमित हो गई थी।

(vii) **<u>पाकिस्तान।</u>** भारत-पाकिस्तान सीमा (3,323 किमी) गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के साथ चलती है।

(b) **<u>समुद्री सीमाएं।</u>** भारत के तटीय क्षेत्र के साथ 12 नॉटिकल मील प्रादेशिक समुद्री क्षेत्र और २००-नॉटिकल मील (३७० किमी; २३० मील) अनन्य आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) है । इसकी 7,000 किलोमीटर से अधिक समुद्री सीमा सात देशों, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान के साथ साझा की गई है।

(c) **<u>हवाई सीमाएं।</u>** हवाई सीमाओं का शारीरिक रूप से सीमांकन नहीं किया जा सकता । यह एक काल्पनिक लाइन समीपस्थ है और अंतरिक्ष में एक देश की भूमि और समुद्री सीमाओं के लिए ऊपर खड़ी है । शांतिकाल के दौरान पड़ोसी देशों ने समझौता किया है और एक-दूसरे के हवाई क्षेत्र में यात्री और कार्गो हवाई उड़ानों की अनुमति दी है । शांतिकाल के दौरान वे सैन्य विमानों की आवाजाही की अनुमति नहीं देते हैं और यदि ऐसा उल्लंघन होता है तो इसे 'हवाई उल्लंघन' कहा जाता है ।

DG N

5. **<u>सीमांकन के आधार पर।</u>**

(a) **<u>सीमांकन किया।</u>** जब दोनों देशों के बीच समझौता और सहमति होती है तो भौगोलिक सर्वेक्षण किया जाता है और पक्षों के बीच कोई विवाद न होने से सीमा की स्पष्ट रूप से पहचान की जाती है । ऐसी सीमाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है और आमतौर पर नियमित अंतराल पर सीमा स्तंभों को रखकर चिह्नित किया जाता है। इन सीमा स्तंभों को उनके सही स्थान और पहचान के लिए क्रमिक रूप से गिने जाते हैं ।

(b) **<u>सीमांकन नहीं।</u>** बोर्डर्स जो या तो स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं हैं या दो संप्रभु राष्ट्रों के राजनीतिक नेतृत्व द्वारा स्वीकार नहीं किए गए हैं, उन्हें संयुक्त राष्ट्र-सीमांकित बोर्डर्स कहा जा सकता है । ये संयुक्त राष्ट्र-सीमांकित सीमाएं आमतौर पर अलग-अलग धारणा और दावा लाइनों के कारण राष्ट्रों के बीच संघर्ष या विवाद का कारण होती हैं। भारत पाकिस्तान और चीन के साथ ऐसी सीमाएं साझा करता है जिसे बाद के अध्यायों में शामिल किया जाएगा ।

<u>भाग II - ऐतिहासिक सीमाएं</u>

6. **<u>आजादी से पहले।</u>**

(a) **<u>ग्रेटर इंडिया।</u>** ग्रेटर इंडिया, दक्षिण और दक्षिणपूर्व एशिया के कई देशों और क्षेत्रों से बना एक क्षेत्र है जो ऐतिहासिक रूप से भारतीय संस्कृति और भाषाओं से प्रभावित थे। ग्रेटर इंडिया शब्द का उपयोग भारतीय उपमहाद्वीप की सभी राजनीतिक संस्थाओं की ऐतिहासिक और भौगोलिक सीमा को शामिल करने के लिए किया जाता है, और ऐसे क्षेत्र जो सांस्कृतिक रूप से भारत से जुड़े हुए हैं या महत्वपूर्ण भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव प्राप्त करते हैं । भारत के सांस्कृतिक और संस्थागत तत्वों की स्वीकार्यता और उन्हें अपनाने से इन देशों को अलग-अलग डिग्री में बदल दिया गया है। उसी को दर्शाने वाला नक्शा नीचे दिया गया है।

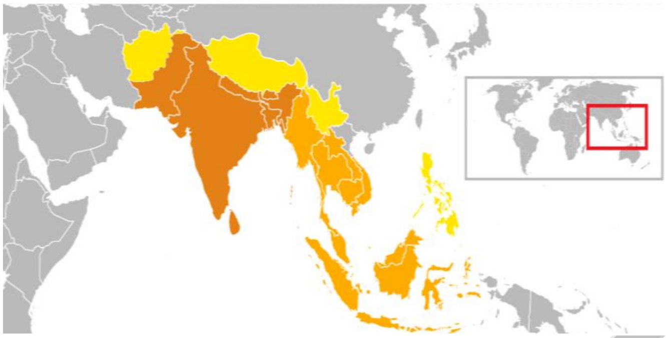

(b) **<u>आक्रमणकारियों और अभियान बलों।</u>** भारत, भारतवरशा या आर्यभूमि के रूप में प्रागैतिहासिक काल से हमेशा एक ही राष्ट्र रहा है । भारतीय इतिहास बताता है कि हमारा देश उत्तर-पश्चिम से आए विदेशी आक्रमणकारियों की बाढ़ से तबाह हो गया था । पोरस, चंजेज खान, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनी प्रमुख हमलावर हैं जिनके बारे में हम पहले ही स्कूल में पढ़ाई कर चुके हैं ।

(c) **<u>मुगल राजवंश।</u>** तुर्किक-मंगोल मूल के मुगल राजवंश ने 16 वीं शताब्दी की शुरुआत से 18 वीं शताब्दी के मध्य तक उत्तरी भारत के अधिकांश शासन किए। मुगल राजवंश भारत के अधिकांश हिस्सों में दो शताब्दियों से अधिक शासन के लिए उल्लेखनीय था। उनके शासन के दौरान भारत के बोर्डर्स नक्शे में नीचे दिए गए हैं ।

(d) **<u>ब्रिटिश शासन।</u>** अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की आड़ में आए और 1858 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश क्राउन द्वारा शासन की स्थापना की। ब्रिटिश नियंत्रण वाले क्षेत्र को आमतौर पर भारत कहा जाता था और इसमें सीधे यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रशासित क्षेत्र शामिल थे । आप सभी स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से अवगत हैं, जिसका समापन अंतत 15 अगस्त १९४७ को भारत के नाम के साथ एक

नए देश के रूप में हुआ । ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान बोर्डर्स का चित्रण करने वाला नक्शा नीचे दिया गया है ।

<u>तटीय क्षेत्रों का इतिहास</u>

7. प्राचीन भारत में, तटीय भारत अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिम भारतीय समुद्र तट से अपने पश्चिमी कोने में कच्छ की खाड़ी के समुद्र तट से फैला है और खाम्भट की खाड़ी में फैला है, और कोंकण के साथ मुंबई के साल्सेट द्वीप के माध्यम से फैला है । और दक्षिण में यह रायगढ़ क्षेत्र में और कनारा के माध्यम से और आगे मंगलौर के माध्यम से और मालाबार के साथ दक्षिण भारत के दक्षिणी क्षेत्र में हिंद महासागर के साथ समुद्र तट के साथ और कोरोमंडल तट या चोलामंडलम के माध्यम से फैली हुई है । उत्कलाकलिंगा क्षेत्र के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के साथ भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग पर समुद्र तट तटीय पूर्वी भारत में सुंदरवन के पास तटरेखा के पूर्वी कोने तक फैली हुई है।

8. **<u>तटीय भारत के साथ लोग ।</u>** तटीय भारत के साथ लोग अपने पश्चिमी समुद्र तट के साथ पश्चिमी एशियाई व्यापारियों के बीच तटीय स्थलाकृति और समुद्री व्यापार के परिणामस्वरूप अंतर्निहित समानता के साथ विशाल विविधता प्रदर्शित करते हैं । इस क्षेत्र में कोंकण तट या पश्चिमी समुद्र तट के साथ पश्चिमी क्षेत्र, कन्नडिगास, तुलुवास, गोंस और महाराष्ट्रियन, दक्षिण भारत के अपने दक्षिणी क्षेत्र में मलयाली, दक्षिणी चोलामंडलम तट के साथ तमिलों, दक्षिण पूर्वी तट के साथ तेलियों, दक्षिण पूर्वी तट के साथ तेलुगूस और उड़िया लोग, कोरोमंडल तट के साथ उत्कलाकलिंगा क्षेत्र के साथ,और बंगाल के खाड़ी के साथ पूर्वी तट के साथ बंगाली लोग शामिल हैं ।

DGNCC

9. **संपन्न समुद्री व्यापार और आपस में लंके।** भूमध्य दुनिया और तटीय भारतीय क्षेत्रों के बीच एक संपन्न व्यापार मौजूद था । इसके कारण तटीय भारत और पश्चिम एशियाई विश्व के लोगों के बीच विशेष रूप से अरब सागर के साथ दक्षिण पश्चिम भारतीय समुद्र तट के साथ महत्वपूर्ण अंतर हुआ । कई पश्चिमी एशियाई समुदाय भी बस गए हैं और तटीय दक्षिण पश्चिम भारत की विविधता का हिस्सा बन गए हैं ।

10. **विरासत।** तटीय भारत की भाषाई विविधता में मलयालम, तमिल, तेलुगु, टुलु और कन्नड़ सहित द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं शामिल हैं; गुजराती, मराठी, कोंकणी सहित भारत ईरानी भाषा परिवारों के पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित भाषाएं, उर्दू और फारसी सहित भारत-ईरानी भाषा परिवारों के मध्य क्षेत्र से संबंधित भाषाएं और उड़िया और बंगाली सहित भारत ईरानी भाषा परिवार के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित भाषाएं ।

स्वतंत्रता के बाद का इतिहास

11. **रियासतों और जम्मू-कश्मीर का एकीकरण।** रियासत शब्द का प्रमुख उपयोग विशेष रूप से ब्रिटिश राज के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अर्ध-संप्रभु रियासत को संदर्भित करता है जो सीधे तौर पर अंग्रेजों द्वारा शासित नहीं था, बल्कि एक स्थानीय शासक द्वारा, कुछ मामलों पर अप्रत्यक्ष शासन के एक रूप के अधीन था। अंग्रेजों की वापसी के समय भारतीय उपमहाद्वीप में हजारों जमींदारी संपदा और जागीर के अलावा 565 रियासतों को आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली थी। 1947 में, रियासतों, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत के क्षेत्र का 40% कवर किया और अपनी आबादी का 23% का गठन भारत के साथ विलय कर दिया गया। भारतीय संघ की संप्रभुता में शामिल हुए कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में हैदराबाद के निजाम, दक्षिण में मैसूर और त्रावणकोर, मध्य भारत में इंदौर और हिमालय में जम्मू-कश्मीर और सिक्किम हैं।

12. **देश ने अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए विभिन्न युद्ध लड़े हैं ।**

(a) **भारत-पाक युद्ध 1947- 48 ।** 1947 - 48 का पहला कश्मीर युद्ध जम्मू-कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के क्षेत्रीय दावों का नतीजा था। १९४७ के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार-किसी भी रियासत जो पूर्व में ब्रिटिश राज का हिस्सा था, के पास स्वतंत्र होने या भारत या पाकिस्तान के किसी भी डोमिनियन में शामिल होने का पूरा विकल्प था । डोगरा राजवंश के हिंदू शासक महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान से स्वतंत्र और दूर रहने का फैसला किया, जब तक कि पाकिस्तान आक्रामक रूप से इस पर कब्जा करने के लिए अपने क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर गया । जवाबी कार्रवाई करने में असमर्थ होने पर उसने भारत से मदद मांगी। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने साफ किया था कि भारतीय सैनिक तभी युद्ध लड़ेंगे जब कश्मीर को भारतीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा। महाराजा ने अपनी मर्जी से कहा कि वह 2 अक्टूबर

1948 को भारत में शामिल होंगे, जिससे उनके लोगों को बचाया जा सकेगा। उस दिन एक "राज्यारोहण के दस्तावेज" पर हस्ताक्षर किए गए थे और जम्मू-कश्मीर को आधिकारिक तौर पर भारत स्थानांतरित कर दिया गया था । इसके बाद भारतीय सैनिकों ने कश्मीर में लैंडिंग की ।

(b) **भारत - चीन युद्ध 1962 ।** चीन-भारतीय युद्ध, 20 अक्टूबर से 21 नवंबर, 1962 तक हुआ था। मैक मोहन लाइन नामक इस सीमा का ब्रिटेन और तिब्बत द्वारा ब्रिटेन और तिब्बत के बीच १९१३ से १९१४ तक आयोजित शिमला कन्वेंशन में सीमांकन किया गया था (सर हेनरी मैकमोहन द्वारा प्रतिनिधित्व), चीन और तिब्बत । चीन ने इस आधार पर मैकमोहन लाइन को स्वीकार नहीं किया है कि चीनी कुममितांग सरकार, जो उस समय चीन की सरकार थी, ने संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे ।

(c) **भारत - पाक युद्ध 1965 ।** यह युद्ध 08 अप्रैल से 23 सितंबर 1965 तक चला। यह जम्मू-कश्मीर के क्षेत्रों पर चल रहे विवाद का सिलसिला था और दोनों देशों के बीच "ताशकांत समझौते" पर हस्ताक्षर करने के साथ ही इसका समापन हुआ ।

(d) **भारत का पाक युद्ध- 1971** । यह युद्ध 03 दिसंबर से 16 दिसंबर 1971 तक चला। जिसे बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिसंबर १९७१ को पाकिस्तान द्वारा आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए और ९३,० पाकिस्तानी सैनिकों को युद्ध बंदी के रूप में लिया गया ।

(e) **1999 का कारगिल युद्ध।** पाकिस्तानी सेना ने कारगिल के ऊंचाई वाले इलाके में शीतकालीन खाली भारतीय चौकियों पर कब्जा कर लिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन के जवाब के तौर पर "ऑपरेशन विजय" शुरू किया। पाकिस्तान ने इस बात से इनकार किया कि उसकी सेना इस ऑपरेशन में शामिल है। 26 जुलाई 1999 - कारगिल संघर्ष आधिकारिक तौर पर समाप्त हो गया और पूरे क्षेत्र पर फिर से कब्जा कर लिया गया।

13. **सीमावर्ती क्षेत्रों को अस्थिर करने के लिए पड़ोसी देशों द्वारा प्रायोजित विद्रोह और आतंकवाद ।** विद्रोह और आतंकवाद किसी देश का बहुत कम लागत वाला विकल्प है जो दूसरे राष्ट्र को अस्थिर कर रहा है और जिसे लंबे समय तक बढ़ाया जा सकता है । नियोजित तरीका सीमावर्ती क्षेत्रों से लोगों की शिकायतों का दोहन करना और उन्हें वित्तीय सहायता और हथियार प्रदान करना है ताकि अन्य देशों को अपने सशस्त्र बलों को सीमा से आंतरिक प्रतिभूति शुल्कों में हटाने के लिए बाध्य किया जा सके । इसका सबसे अच्छा उदाहरण जम्मू-कश्मीर के यूटी में और हमारे पड़ोसियों द्वारा शत्रुतापूर्ण इरादे से प्रायोजित पूर्वोत्तर राज्यों में हैं ।

<u>भाग III -भूगोल और सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थलाकृति</u>

14. **<u>रेगिस्तानी इलाके/नदी तटीय इलाके/मैदान ।</u>** भारत और पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय सीमा हर तरह के इलाके का मिश्रण है। इसमें आंशिक रूप से नदी, तटीय, मैदानी और पहाड़ी इलाके हैं। प्रत्येक प्रकार के इलाके एक अलग प्रकार का खतरा पैदा करते हैं और निगरानी के विभिन्न साधनों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इनकी रक्षा के लिए नामित बलों को इलाके के अनुसार विभिन्न प्रकार की चुनौतियों और युद्ध के लिए तैयार करना होगा । डेसर्ट विशाल और खुले हैं। दिन और रात में पानी, पेड़ के आवरण या वनस्पति चरम तापमान की कमी है। परिणामस्वरूप जनसंख्या घनत्व बहुत कम कस्बों और गांवों के साथ कम है । सड़कों का अभाव है और वाहन ढीली रेत पर नहीं चल सकते। इसी तरह पंजाब और जम्मू क्षेत्र के मैदानी इलाकों में कई नदियां और नाले हैं, जहां सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों की आवाजाही मुश्किल है। ये इलाके सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से गश्त करने की चुनौती थोपते हैं और सीमा पार अवैध गतिविधियों का खतरा बढ़ जाता है ।

15. **<u>पहाड़ी इलाके।</u>** पहाड़ी इलाके भारत के मामले में ९,००० फुट से लगभग २०,००० फुट तक हैं । पहाड़ों में इलाका ऊबड़-खाबड़ और दुर्गम है और मौसम खराब है । यह परिवहन और संचार के साधनों के निर्माण, विकास के लिए एक चुनौती बन गया है । जमीन, निगरानी, रसद और विशेष कपड़ों और उपकरणों की आवश्यकता को रखने में कठिनाई जटिलता को और बढ़ा देता है । भारत पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ पहाड़ी सीमा साझा करता है ।

16. **<u>बर्फ से ढके और हिमनद इलाके।</u>** बर्फ से ढके पहाड़ ग्रेटर हिमालय में ऐसे क्षेत्र हैं जो बर्फबारी का अनुभव करते हैं और वर्ष में कई महीनों तक बर्फ की कवर होती है । ऐसे पहाड़ जे एंड के, लद्दाख के यूटी और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं, सियाचिन ग्लेशियर हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है और साल भर में बर्फ का स्थायी आवरण है। सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख के यूटी में स्थित है। इसे दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है।

17. **<u>जंगल इलाके।</u>** इस तरह के इलाके में परिवहन और संचार के साधनों के निर्माण में गंभीर चुनौतियां हैं, और नतीजतन, सीमावर्ती क्षेत्र सीमित आर्थिक विकास के साथ विरल आबादी वाला रहता है । सड़कों, संचार संपर्कों और अन्य सीमा सुरक्षा अवसंरचना के अभाव से सीमा प्रबंधन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि वे सीमा पर सीमा की रक्षा करने वाली सेनाओं की सुगम और तीव्र आवाजाही में बाधा डालते हैं । ऐसे इलाके हवाई निगरानी के फायदे

DGNCC

से इनकार करते हैं । घनी वन क्षेत्रों में राज्य के लिए निवास करना मुश्किल है और एक समग्र पुलिस और सैंय उपस्थिति में कमी आई है ।

18. **<u>तटीय भारत का भूगोल।</u>** तटीय भूगोल सागर और भूमि के बीच लगातार बदलते क्षेत्र का अध्ययन है, जिसमें भौतिक भूगोल (यानी तटीय भूरूप विज्ञान, भूविज्ञान और समुद्रशास्त्र) और तट के मानव भूगोल (समाजशास्त्र और इतिहास) दोनों को शामिल किया गया है । इसमें तटीय अपक्षय प्रक्रियाओं, विशेष रूप से तरंग कार्रवाई, तलछट आंदोलन और मौसम को समझना और मनुष्यों के तट के साथ बातचीत करने के तरीके शामिल हैं। भारत में 7516-6 किमी की समुद्र तट है जो नौ भारतीय राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है

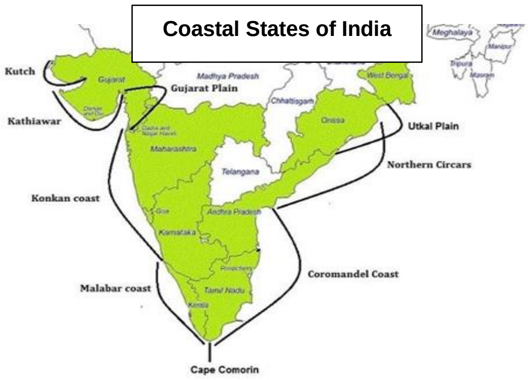

19. भारत में 7516.6 किमी का समुद्र तट है जिसमें 5422.6 किमी मुख्य भूमि समुद्र तट और 1197 किमी भारतीय द्वीप हैं। भारतीय समुद्र तट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दो केंद्र शासित प्रदेशों-दमन और दीव और पुडुचेरी जैसे नौ राज्यों को छूता है । भारत के दो द्वीपीय क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप हैं।

20. भारत का तटीय राज्य इस प्रकार है:-

<u>Sr. No</u>	<u>राज्य का नाम</u>	<u>तटीय लंबाई</u>
(a)	गुजरात	1,600km
(b)	महाराष्ट्र	720km
(c)	गोवा	160km
(d)	कर्नाटक	320km
(e)	केरल	580km
(f)	तमिलनाडु	1076km
(g)	आंध्र प्रदेश	974km
(h)	ओड़िशा	485km
(j)	पश्चिम बंगाल	157km

21. प्रायद्वीपीय भारत 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है- पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तटीय बेल्ट में रेतीले समुद्र तटों और मैंग्रोव से लेकर coral reefs और चट्टानी तटों तक की प्रणालियों की एक विस्तृत श्रृंखला है। याद करने के लिए कुछ तथ्य इस प्रकार हैं:

(a) दुनिया में सातवां सबसे लंबा ।

(b) जनसंख्या का 1/5 तट के किनारे रहता है ।

(c) गुजरात में सबसे लंबा समुद्र तट है।

(d) हमारे तीन महानगर तट पर हैं।

<u>निष्कर्ष।</u>

22. आज हमने इस बारे में अध्ययन किया है कि भूमि और तटीय सीमा हमारे देश और उसके लोगों के लिए क्या दर्शाती है । हमने संक्षेप में देश के एक संक्षिप्त इतिहास को छुआ है जब हमारी सीमाओं का अत्यधिक विरोध किया गया था, युद्ध लड़े गए थे और हमारे देश के समृद्ध संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए विदेशी आक्रमण हुआ था । आजादी की लंबी लड़ाई से आज हमारे पास क्या सीमा हासिल हुई है और इसकी पवित्रता को आज भी हमारे पड़ोसियों के बुरे डिजाइन से चुनौती दी जा रही है । हमारे देश के गौरवान्वित नागरिक होने के नाते हमें अपनी सीमाओं और इसकी पवित्रता की रक्षा के लिए हमारे सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों के बारे में जानना चाहिए ।

DGNCC

<u>सीमा प्रबंधन में सुरक्षा चुनौतियां और एनसीसी कैडेटों की भूमिका</u>

Period - Two

Type - Lecture

Conduct – ANO/ CTO

<u>प्रशिक्षण एड्स</u>

1. कंप्यूटर स्लाइड, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, Easel, मार्कर और डस्टर।

<u>टाइम प्लान</u>

2. यह व्याख्यान निम्नलिखित भागों में आयोजित किया जाएगा: -

(a)	परिचय	- 04 Min.
(b)	उद्देश्य और दायरा	- 02 Min.
(c)	भाग-1 - सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां	- 18 Min.
(d)	भाग-2 -तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां	- 18 Min
(e)	भाग 3 - वायु सेना तालुक की सुरक्षा चुनौतियां	- 16 Min
(f)	भाग-4 - एनसीसी कैडेटों की भूमिका	- 18 Min
(e)	निष्कर्ष	- 04 Min.

<u>परिचय</u>

3. भारत में विभिन्न प्रकार की भूमि सीमाएं (14,8181 किमी) अर्थात आईबी/एलसी/एजीपीएल/एलएसी और सर क्रीक की विशिष्टता के साथ-साथ मुख्य भूमि (गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से शुरू) और द्वीपों (अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप) शामिल हैं । देश पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमाओं को साझा करता है ।

4. ऐतिहासिक संस्कृति सीमा के दोनों ओर बहती है इसलिए पड़ोसी देशों द्वारा दावे और काउंटर दावे विवादित क्षेत्र बनाते हैं । सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के भूभाग और जातीयता से कई चुनौतियां पैदा होती हैं जिन्हें सीमा प्रबंधन के हिस्से के रूप में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है ।

DGNCC

5. सीमा और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग सुरक्षित और सुरक्षित सीमा और तटीय क्षेत्र की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण घटक हैं इसलिए वे प्रभावी सीमा प्रबंधन के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हैं । एनसीसी कैडेट मिट्टी के पुत्र होने के नाते सार्थक सीमा प्रबंधन की दिशा में अंशदायी भूमिका निभा सकते हैं ।

उद्देश्य

6. सीमावर्ती क्षेत्रों/तटीय क्षेत्रों और वायु सेना तालुकों के सुरक्षा प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों की सुरक्षा चुनौतियों और भूमिका को उजागर करना।

भाग

7. सबक निम्नलिखित भागों में कवर किया जाएगा:-

(a) भाग 1 - सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां।

(b) भाग 2 - तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां।

(c) भाग3 - वायु सेना तालुकों की सुरक्षा चुनौतियां।

(b) भाग 4 - एनसीसी कैडेट्स की भूमिका।

भाग-1 - सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां

8. भारत की सीमाएं अनूठी तरह की भौगोलिक विविधता पेश करती हैं जिसका दूरगामी सुरक्षा असर होता है । इसकी अधिकांश सीमाएं स्थलाकृतिक रूप से कठिन, दूरस्थ हैं और इसमें अजीब चुनौतियां हैं। ये नीचे सूचीबद्ध हैं:-

(a) पोरस, गैर सीमांकन हिस्सों और आसानी से परक्राम्य।

(b) इलाकों की कमी और पहुंच की कमी के कारण यह कई स्थानों पर पहरा नहीं रहता है ।

(c) सीमावर्ती क्षेत्रों की अपनी जातीय, सांस्कृतिक, धार्मिक और नस्लीय आबादी है जो मुख्य भूमि आबादी से अलग हैं और कुछ क्षेत्रों में सीमाओं के पार आबादी के साथ उनका अचूक लगाव है ।

(d) स्थानीय प्रशासन की दूरस्थता और इसकी कम दृश्यता ।

DG NCC

(e) अवैध immigration ।

(f) हथियार, गोला-बारूद और नशीले पदार्थों की तस्करी।

(g) सार्वजनिक सुविधाओं और कठोर रहन-सहन की स्थिति तक पहुंच की कमी ।

(h) सीमा पार से बार-बार गोलाबारी।

(j) सीमावर्ती आबादी के बीच अलगाव की भावना पैदा करने के लिए धार्मिक कट्टरपंथ के आकर्षण, तोड़फोड़ और संवर्धन के माध्यम से शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों द्वारा ठोस प्रयास ।

(k) सीमा अपराधियों की कार्रवाइयों का शिकार होना।

(l) दूरस्थता के कारण संचार, शिक्षा, चिकित्सा, पानी आदि साधनों का अभाव।

(m) बेहतर रहन-सहन की स्थिति (पुश एंड पुल फैक्टर) के कारण अवैध immigration.

(n) आतंकवादियों, भूमिगत/विद्रोहियों के लिए सुरक्षित आश्रय-उनके पास अपने ऑपरेटिंग ठिकाने/लॉन्च पैड हैं ।

(o) संघर्ष के दौरान - हवाई उल्लंघन, छोटी टीमों द्वारा घुसपैठ या अनियमित सैनिकों द्वारा गश्त ।

(p) ड्रोन/पशुओं द्वारा ड्रग्स/हथियार गिराना ।

भाग-2: तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा चुनौतियां

9. भारत में पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर के साथ ७५१६.६ किमी की समुद्र तट है । भारत को समुद्र से निकलने वाले तटीय क्षेत्रों के साथ कई खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और जो मुख्य रूप से उप-पारंपरिक प्रकृति के हैं । इन खतरों और चुनौतियों को पांच व्यापक श्रेणियों के तहत वर्गीकृत किया जा सकता है जिन्हें नीचे पैराग्राफ में प्रतिपादित किया गया है ।

10. समुद्री आतंकवाद। समुद्री आतंकवाद हमारे देश के लिए सबसे शक्तिशाली खतरा है। समुद्री आतंकवाद को समुद्री पर्यावरण के भीतर आतंकवादी कृत्यों और गतिविधियों के उपक्रम

DG NCC

के रूप में परिभाषित किया गया है । इस प्रकार, प्रमुख जनसंख्या केंद्रों, तटवर्ती और अपतटीय रणनीतिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक सुविधाओं, तट के साथ-साथ तटीय जलमार्गों के साथ-साथ तटीय जलमार्गों पर स्थित औद्योगिक परिसरों को आतंकवादी हमलों के लिए उच्च मूल्य लक्ष्यों के रूप में पहचाना जा सकता है । समुद्र आधारित आतंकवाद कोई नई घटना नहीं है ।

11. **<u>चोरी और सशस्त्र डकैती।</u>** समुद्री डकैती को हिंसा या नजरबंदी के किसी भी अवैध कृत्य, या किसी निजी जहाज या निजी विमान के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी सिरों के लिए प्रतिबद्ध किसी भी गैर-अवमूल्यन के कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है । यह उच्च समुद्र में, किसी अन्य जहाज या विमान के खिलाफ, या ऐसे जहाज या विमान में सवार व्यक्तियों या संपत्ति के खिलाफ निर्देशित है; किसी भी राज्य के अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी स्थान पर जहाज, विमान, व्यक्तियों या संपत्ति के विरुद्ध।

12. **<u>तस्करी ।</u>** जहां देश का पूरा तट निषिद्ध की गुप्त लैंडिंग की चपेट में है, वहीं गुजरात-महाराष्ट्र समुद्र तट, तमिलनाडु तट, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन और अंडमान निकोबार द्वीप समूह विशेष रूप से इस तरह की गतिविधियों का खतरा बना हुआ है । भौगोलिक स्थिति, विचित्र इलाके और सीमा पार से सटे जातीय संबंधों ने इन हिस्सों को तस्करी और तस्करी के लिए अनुकूल बना दिया है ।

13. **<u>घुसपैठ, अवैध प्रवास और शरणार्थी बाढ़ ।</u>** भारत की जमीन की सीमाएं हमेशा से आतंकियों/आतंकियों की घुसपैठ और बड़े पैमाने पर अवैध पलायन से असुरक्षित रही हैं। दशकों से बड़े पैमाने पर इन आमद के परिणामस्वरूप सीमावर्ती राज्यों में व्यापक राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है । घुसपैठ और बड़े पैमाने पर अवैध प्रवासन को रोकने के लिए, भारत सरकार ने व्यापक सुरक्षा उपायों को लागू किया, जिसमें सीमाओं पर कड़ी निगरानी बनाए रखना, बाड़ का निर्माण और आप्रवासियों की पूरी तरह से जांच करना शामिल है । भूमि पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंधों ने आतंकवादियों और अवैध प्रवासियों को समुद्र की ओर देखने के लिए मजबूर किया जहां सुरक्षा उपाय तुलनात्मक रूप से ढीले हैं ।

14. **<u>समुद्री सीमा से परे मछुआरों का भटकना।</u>** पड़ोसी देश के पानी में मछुआरों के लगातार भटकने से न केवल मछुआरों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ी हैं ।

(a) पड़ोसी देश के जल क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले मछुआरों को उनकी नौकाओं के साथ निरपवाद रूप से गिरफ्तार किया जाता है ।

(b) कई मौकों पर उन पर पड़ोसी देश की सुरक्षा एजेंसियों ने गोलियां भी चलाई हैं।

(c) यह मुद्दा एक अस्थिर समुद्री सीमा का नहीं है बल्कि भारतीय मछुआरों द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री सीमा को पहचानने से इनकार करना, खासकर पाल्क खाड़ी में है ।

(d) भारतीय मछुआरों का बांग्लादेशी जल क्षेत्र में भटकना मुख्य रूप से सुंदरवन क्षेत्र में होता है। दुर्गम इलाके और मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों में ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) न होने से मछुआरों के लिए समुद्री सीमा का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

<u>भाग-3: वायु सेना तालुकों की सुरक्षा चुनौतियां</u>

15. एक वायु सेना स्टेशन के लिए युद्ध के समय खतरा सभी स्थितियों का सबसे विनाशकारी है । युद्ध की घोषणा के बाद सीधे दुश्मन की कार्रवाई के कारण वायु सेना स्टेशन के लिए खतरा है । खतरा दुश्मन के विमानों, दुश्मन की इंफैंट्री, तोपखाने, मिसाइलों और ड्रोन द्वारा भूमि हमले से है। इस तरह के हमलों के दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य, विमान और अन्य हथियार प्रणालियां या रनवे होगा ताकि विमान कुछ समय के लिए बिल्कुल भी उड़ान नहीं भर सके ।

16. शांति काल के खतरे वे हैं जो सीधे किसी शत्रु देश द्वारा नहीं किए जाते हैं । शांति समय के दौरान कुछ पारंपरिक और अपरंपरागत खतरे जो कि एक वायु सेना स्टेशन पर हो सकता है, नीचे सूचीबद्ध है :-

(a) **<u>दहशतगर्दी ।</u>** एक राष्ट्र के रूप में हमने दुश्मन प्रायोजित आतंकवादियों के हाथों नुकसान हुआ है । पूर्व में कई प्रयास किए गए हैं और पठानकोट में वायु सेना स्टेशन पर हमले के दौरान हमारी कुछ सैनिकों की जान चली गई । यह गंभीर खतरा है। इस तरह के हमले बिना तैयारी के नहीं किए जा सकते जिसमें मार्गों और क्षेत्रों से परिचित शामिल हैं । हो सकता है कि आतंकियों के स्थानीय इलाके में रहने वाले समर्थक रहे हों ।

(b) **<u>साइबर युद्ध।</u>** विभिन्न तरीकों से साइबर स्पेस का विनाशकारी उपयोग वायु सेना स्टेशन के कामकाज के लिए एक गंभीर खतरा है ।

(c) **<u>मनोवैज्ञानिक युद्ध।</u>** इसका उपयोग किसी संगठन में मानव संसाधन के नैतिक को कम करने के लिए गलत जानकारी आदि फैलाकर किया जाता है।

(d) **<u>आपराधिक गतिविधि।</u>** संपत्ति की चोरी, तारों, अपराधियों द्वारा संपत्ति की जानबूझकर विनाश, जो राष्ट्र के लिए कोई संबंध नहीं है हमेशा एक खतरा है । इस पर भी सोची समझी कार्रवाई की जा सकती है। यदि दुश्मन के एजेंटों को स्थानीय आबादी में मिश्रण करने के लिए तैयार किया जाता है, तो ऐसी कोई भी गतिविधि राष्ट्र विरोधी प्रतीत नहीं होगी। मनोरंजन या जासूसी प्रयोजनों के लिए ड्रोन का उपयोग एक वायु सेना स्टेशन की संपत्ति को खतरे में डाल कर सकते हैं।

(e) **<u>सूचना लीक ।</u>** संवेदनशील प्रकृति की वर्गीकृत जानकारी, तैयारी के स्तर, प्रशिक्षण की स्थिति, उपकरणों की फिटनेस, हथियार की स्थिति, विमान उपलब्धता, कर्मियों के स्पेयर पार्ट्स संख्या और वायु सेना स्टेशन की युद्ध योजना और इसमें मौजूद इकाइयों को खतरे में डाल सकते हैं।

(f) **<u>Sabotage(अंतध्वंस)।</u>** राजनीतिक या सैन्य लाभ के लिए जानबूझकर नष्ट करना, नुकसान करना या बाधा डालना। अंदरूनी लोगों को विमान आदि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए प्रभावित किया जा सकता है।

(g) **<u>स्थानीय स्थितियां/नागरिक उत्तरदायित्व/प्रशासन की प्रतिक्रिया/नागरिक अशांति ।</u>** सार्वजनिक उदासीनता हवाई अड्डों के आसपास विमान दुर्घटनाओं का एक और कारण है । खराब कूड़ा निस्तारण, बूचड़खाने आदि पक्षियों को आकर्षित करते हैं जिससे करोड़ों रुपये और जान माल का नुकसान हो सकता है। किसी क्षेत्र में बार-बार अशांति होने से सड़क मार्ग से वायु सेना स्टेशन से संसाधनों की उपलब्धता और जनशक्ति की आवाजाही भी प्रभावित होता है । ऐसे क्षेत्र जो स्थानीय राजनीतिक या किसी अन्य मानसिकता के कारण अस्थिर होते हैं ।

(i) **<u>अवैध निर्माण, एयरफोर्स की जमीन का अतिक्रमण।</u>** अवैध निर्माण और अतिक्रमण, चिंता का बड़ा कारण है। गैर जिम्मेदाराना पतंग उड़ान कारण धीमी गति से चलती विमान अक्सर क्षतिग्रस्त हुआ है; किसी भी उड़ान वातावरण की सुरक्षा सीधे इन गतिविधियों से प्रभावित होती है।

(j) **<u>अवैध प्रवास।</u>** अवैध आप्रवासी जो जानबूझकर वायु सेना स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं ।

17. इसलिए सबसे बड़े दो खतरे आतंकवादी बने हुए हैं (जो या तो कुछ गलत विचारधारा से प्रभावित हैं या दुश्मन राज्य द्वारा नियंत्रित हैं) या स्थानीय आबादी (घुसपैठ अवैध प्रवासियों सहित) जिनका उपयोग शत्रुओं द्वारा किया जाता है।

<u>भाग-4: एनसीसी कैडेटों की भूमिका</u>

18. एनसीसी में सीमा और तटीय जिलों और वायु सेना तालुक के छात्रों के नामांकन से सीमा/तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्रणाली में वर्तमान कमियों को कम करने में मदद मिलेगी और सीमा रक्षक बलों/समुद्री बलों/वायु सेना के कर्मियों, स्थानीय आबादी और प्रशासन के बीच एक स्वस्थ संबंध बनाने में भी मदद मिलेगी । एनसीसी में युवाओं के नामांकन से उनका दृष्टिकोण बदल जाएगा और वे अपने इलाकों और गांवों में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं और सरकारी नीतियों के कार्यान्वयन में मदद कर सकते हैं ।

19. **<u>सीमा क्षेत्र प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों की भूमिका।</u>** सीमावर्ती जिलों में नामांकित एनसीसी कैडेट निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं।

(a) **सीमा क्षेत्र जागरूकता अभियान।** एनसीसी कैडेटों का उपयोग रैलियों और सार्वजनिक सगाई कार्यक्रमों जैसी एनसीसी प्रशिक्षण गतिविधियों के माध्यम से सरकारी फुट प्रिंट का प्रदर्शन करने वाले सीमा क्षेत्र सुरक्षा जागरूकता अभियानों का संचालन करने के लिए किया जा सकता है ।

(b) **सीमा क्षेत्र सुरक्षा और खुफिया कार्य ।** सीमावर्ती क्षेत्रों में विभिन्न सुरक्षा और आसूचना कमियों को लागू करने में कैडेटों का उपयोग किया जा सकता है। वे ग्राम रक्षा समिति का हिस्सा हो सकते हैं। वे असामाजिक गतिविधियों/राष्ट्रविरोधी तत्वों के खिलाफ आंख और कान के रूप में कार्य कर सकते हैं । वे सीमा रक्षक बलों के साथ स्थानीय आसूचना साझा कर सकते हैं ।

(c) **<u>आपदा प्रबंधन।</u>** एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन सहायता कार्यों जैसे प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और दवाओं के भीड़ प्रबंधन वितरण के लिए नियोजित किया जा सकता है । नियंत्रण रेखा के साथ-साथ अन्य युद्ध जैसी स्थितियों के दौरान तोपखाने की गोलाबारी के दौरान ग्रामीणों को बाहर निकालना ।

(d) **<u>समाज सेवा और सामुदायिक विकास।</u>** एनसीसी कैडेटों द्वारा स्थानीय गांवों को गोद लेकर और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों में सहायता करके समाज सेवा और सामुदायिक विकास गतिविधियां शुरू की जा सकती हैं। वे विभिन्न सरकारी योजनाओं और नई पहलों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं।

DGNCC

20. **<u>तटीय क्षेत्र प्रबंधन में एनसीसी कैडेटों की भूमिका।</u>** तटीय सुरक्षा प्रबंधन कार्य में एनसीसी कैडेटों की भूमिका नीचे दिए गए पैराग्राफ में विस्तार से दी गई है: -

(a) **<u>तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियान।</u>** एनसीसी कैडेटों का उपयोग सभी तटीय गांवों और मछुआरे गांवों में तटीय सुरक्षा की दिशा में तटीय सुरक्षा जागरूकता अभियानों, रैलियों और सार्वजनिक सहभागिता कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए किया जा सकता है जो देश की तट रेखा के साथ सामान्य रूप से जनता के लिए लाभप्रद होगा ।

(b) **<u>तटीय सुरक्षा।</u>** कैडेटों का उपयोग तटीय क्षेत्रों में विभिन्न सुरक्षा उपायों के अंतराल को लागू करने में किया जा सकता है। तटीय क्षेत्रों में विभिन्न आसन्न सुरक्षा खतरों और समय-समय पर किए जाने वाले विभिन्न सुरक्षा उपायों के संबंध में तटीय क्षेत्रों में स्थानीय आबादी को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें बार-बार रैलियां/शिविर आयोजित करने के लिए जुटाया जा सकता है ।

(c) **<u>आपदा प्रबंधन।</u>** एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन सहायता कार्यों जैसे प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और दवाओं के भीड़ प्रबंधन वितरण के लिए नियोजित किया जा सकता है ।

(घ) **<u>तटीय पारिस्थितिकी पर जागरूकता।</u>** तटीय पारिस्थितिकी के बारे में स्थानीय आबादी में जागरूकता लाने और उन्हें इस बारे में जागरूक करने के लिए तटीय गांवों में कैडेटों को भी तैनात किया जा सकता है ।

21. **<u>वायु सेना तालुक में एनसीसी कैडेटों की भूमिका।</u>** वायु सेना तालुक में एनसीसी कैडेटों की भूमिका को नीचे दिए गए पैराग्राफ में विस्तार से बताया गया है: -

(a) **<u>सूचना और शिक्षा।</u>** कैडेटों को सुरक्षा सावधानियों के बारे में जागरूकता पैदा करने में नियमित भूमिकाएं सौंपी जा सकती हैं क्योंकि एक जिम्मेदार समाज को

DGNCC

राष्ट्रीय परिसंपत्तियों के नुकसान को रोकने के लिए जागृत करने की आवश्यकता है । ये इस तरह से कूड़ा निस्तारण की आवश्यकताओं पर आधारित होंगे कि पक्षी गतिविधि कम हो। स्कूली बच्चों को पतंग उड़ाने/ड्रोन उड़ने आदि के कारण विमानों और मनुष्यों को जोखिम के बारे में सिखाने में नियमित रूप से अभियान चलाया जाता है । एनसीसी कैडेट वायु सेना स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों में नियमित रूप से पैदल रैलियों और जागरूकता गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं ।

(b) **वायु सेना तालुक खुफिया कार्य।** एनसीसी कैडेट कुछ स्थानीय लोगों की जीवनशैली में अचानक बदलाव देख सकते हैं। विचारधारा में परिवर्तन, राष्ट्र विरोधी भावनाएं, धन में अचानक वृद्धि, खर्च करने की आदतें, आय के जाहिरा तौर पर कम साधनों के साथ नई परिसंपत्तियों की खरीद । कैडेट भी सावधानी से रिपोर्ट कर सकते है । इसे स्थानीय भारतीय वायु सेना संपर्क के साथ साझा किया जा सकता है। एनसीसी कैडेट्स को आगे की जांच आदि की जरूरत नहीं होगी।

(c) **अतिक्रमण और अवैध पलायन के खिलाफ जागरूकता।** स्थानीय माहौल में अधिक कैडेटों और पूर्व कैडेटों के साथ यह उम्मीद की जाती है कि वायु सेना की भूमि का अतिक्रमण और परिधि के आसपास अवैध निर्माण कम या बंद हो जाएगा । उनकी उपस्थिति से वायु सेना स्टेशनों के पास बसने में अवैध प्रवासियों को भी रोका जा सकेगा ।

(d) **आपदा प्रबंधन।** एनसीसी कैडेटों को आपदा प्रबंधन सहायता कार्यों जैसे प्राथमिक चिकित्सा, भोजन और दवाओं के भीड़ प्रबंधन वितरण के लिए नियोजित किया जा सकता है ।

निष्कर्ष

22. सीमावर्ती/तटीय क्षेत्रों/वायु सेना तालुकों से एनसीसी में युवाओं के नामांकन से निश्चित रूप से इन क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलेगी। यह आबादी, सुरक्षा बलों और प्रशासन के बीच अहम कड़ी साबित होगा। एनसीसी कैडेट इन क्षेत्रों के सुरक्षा प्रबंधन में बल गुणक के रूप में काम करेंगे। एक बार जब सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ स्थानीय आबादी मुख्यधारा में एकीकृत हो जाती है, तो नैतिक उत्तरदायित्व की एक निश्चित राशि स्वत आ जाएगी । इसके बाद ही भारत के सीमा प्रबंधन में यथार्थवादी समुदाय की भागीदारी हासिल की जा सकती है।

वायु सेना स्टेशनों सहित सीमावर्ती और तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन

Period - Two

Type - Lecture

Conduct – ANO/ CTO

प्रशिक्षण एड्स

1. कंप्यूटर स्लाइड, प्रोजेक्टर, व्हाइट बोर्ड, Easel, मार्कर और डस्टर।

टाइम प्लान

2. यह व्याख्यान निम्नलिखित तीन भागों में आयोजित किया जाएगा:-

(a) परिचय - 05 Min.

(b) भाग 1 - भूमि सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन - 35 Min.

(c) भाग 2 - तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा स्थापना और प्रबंधन - 25 Min.

(d) भाग 3 - वायु सेना स्टेशनों की सुरक्षा स्थापित और प्रबंधन - 15 Min.

परिचय

3. भारत अपनी सीमाओं को कई देशों के साथ साझा करता है और लगभग हर प्रकार का चरम भूगोल, विभिन्न सीमाओं के साथ-साथ मौजूद है - जैसे रेगिस्तान, उपजाऊ भूमि, दलदली दलदल या उष्णकटिबंधीय सदाबहार जंगल आदि । भारत बांग्लादेश (4,096.7 किमी), चीन (3,488 किमी), पाकिस्तान (3,323 किमी), नेपाल (1,751 किमी), म्यांमार (1,643 किमी), भूटान (699 किमी) और अफगानिस्तान (106 किमी) के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी 15,106.7 किलोमीटर भूमि सीमाएं और 7,516.6 किलोमीटर की तट रेखा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों में अंतरराष्ट्रीय सीमा या तट रेखा है। भारत के 593 जिलों के 106 जिले 17 राज्यों में सीमावर्ती जिले हैं।

4. तटीय सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा के एक सभी शामिल विषय का एक प्रमुख सबसेट और यह 26 नवंबर 08 को मुंबई पर आतंकी हमले के बाद केंद्र स्तर पर रहा है । एक समुद्री राज्य होने के नाते भारत के समुद्री क्षेत्रों में कई हित हैं और इन हितों की रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने तेजी से बिगड़ते सुरक्षा माहौल में नई चुनौतियों का सामना किया है ।

DG NCC

भाग 1 - भूमि सीमाओं की सुरक्षा व्यवस्था और प्रबंधन

6. **विभिन्न प्रकार की सीमाएं।** IB, LC, AGPL, LAC आदि की स्थिति में एक अंतर है; इसलिए, इन सीमाओं के प्रबंधन में थोड़ा अंतर है।

(a) **International border (IB) या अंतरराष्ट्रीय सीमा**. अंतरराष्ट्रीय सीमा वह लाइन है जिसे पड़ोसी देश और बाकी दुनिया पहचानती है । ये दोनों देशों के बीच अच्छी तरह से सीमांकन और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य सीमा हैं । सीमांकन का सबसे आम तरीका सीमा स्तंभों को रखना है जो आम तौर पर गिने जाते हैं और नियमित अंतराल पर रखे जाते हैं ।

(b) **LC**. Line of Control (LC or LoC) या नियंत्रण रेखा पूर्व रियासत जम्मू-कश्मीर के भारतीय और पाकिस्तानी नियंत्रित हिस्सों के बीच सैन्य नियंत्रण रेखा को संदर्भित करता है । यह एक ऐसी पंक्ति है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय सीमा का गठन नहीं करती है । मूल रूप से संघर्ष विराम रेखा के रूप में जाना जाता है, इसे 3 जुलाई १९७२ को हस्ताक्षरित शिमला समझौते के बाद "नियंत्रण रेखा" के रूप में फिर से नामित किया गया था । भारतीय नियंत्रण में रहने वाली पूर्व रियासत का हिस्सा अब जम्मू-कश्मीर के यूटी और लद्दाख के यूटी के नाम से जाना जाता है। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले हिस्से को आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान में बांटा गया है। नियंत्रण रेखा लगभग 740 किलोमीटर लंबी है।

(c) **AGPL**. Actual Ground Position Line (AGPL), वह रेखा है जो सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों की वर्तमान स्थितियों को विभाजित करती है । यह लाइन LC (नियंत्रण रेखा) के उत्तरी बिंदु यानी प्वाइंट एनजे 9842 से उत्तर की ओर चलकर इंदिरा Col तक फैली हुई है जो लगभग 110 किलोमीटर लंबी है। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया की सबसे ऊंची लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है।

(d) **LAC या वास्तविक नियंत्रण रेखा**. मैक मोहन लाइन तिब्बत और पूर्वोत्तर क्षेत्र के बीच सीमा का सीमांकन करने के लिए तिब्बत के स्वतंत्र राज्य और ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शिमला समझौते (अक्टूबर १९१३ से जुलाई १९१४) में एक नक्शे पर तैयार की गई एक लाइन थी । नतीजतन अरुणाचल प्रदेश राज्य (जिसे भारत द्वारा प्रशासित किया जाता है) और अक्साई चिन (चीन द्वारा प्रशासित) विवादित क्षेत्र बन गए हैं । चीन द्वारा तिब्बत के विलय के बाद मैक मोहन लाइन पर मुकर गया और उसका रुख तब से अस्पष्ट बना हुआ है, इस प्रकार असहमति और विवादों के कई क्षेत्रों का निर्माण हुआ है । वर्षों की बातचीत के बाद भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा नामक एक नया शब्द अपनाया है जो अब एक व्यापक सीमांकन रेखा है जो भारतीय क्षेत्र को

तिब्बत के चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करती है । LAC को लेकर अनसुलझे सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के बीच 1962 में सैन्य संघर्ष हुआ है और बाद में कई सीमा झड़पें हुई हैं। इनमें 1962 का चीन-भारतीय युद्ध, 1967 में चो ला घटना, 1987 चीन-भारतीय झड़प, चीन-भूटान सीमा पर 2017 डोकलाम स्टैंड ऑफ और 2020 गलवान घाटी हाथापाई शामिल हैं। LAC लगभग 3488 किलोमीटर लंबा है।

7. **<u>सीमा प्रबंधन बल के विभिन्न प्रकार।</u>** कारगिल युद्ध के बाद 2001 में कारगिल समीक्षा समिति ने बेहतर जवाबदेही के लिए वन बॉर्डर वन फोर्स के सिद्धांत की पुरजोर सिफारिश की थी।

8. **<u>वन बॉर्डर वन फोर्स कॉन्सेप्ट।</u>** यह अवधारणा विशेष सीमा खंड की रक्षा के लिए एक प्रकार के बल को उत्तरदायी बनाने के मूलधन पर आधारित है, यह सुनिश्चित करते हुए कि बल को एक बार कानून और व्यवस्था के कर्तव्यों और विद्रोह का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इस प्रकार इसकी जवाबदेही और प्रतिक्रिया में वृद्धि होती है । तदनुसार वर्तमान में हमारी सीमाओं के विभिन्न भागों में निम्नलिखित बलों द्वारा मानवयुक्त और प्रबंधित किया जा रहा है:-

(a) पाकिस्तान - IB Sect - BSF.

- LC & AGPL – Army / Combined.

(b) चीन (Eastern, Middle Sect, Western Sect) - ITBP.

(c) नेपाल और भूटान - SSB.

(d) बांग्लादेश - BSF.

(e) म्यांमार - Assam Rifles.

9. **<u>अन्य एजेंसियां।</u>**

(a) Customs.

(b) स्थानीय पुलिस।

(c) आईबी के खुफिया अधिकारी।

(d) सिविल प्रशासन।

(e) युवा संगठन जैसे एनसीसी, स्काउट, एनएसएस आदि।

DGNCC

सीमा प्रबंधन

10. **सीमा प्रबंधन विभाग (Department of Border Management) का निर्माण।** जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग का गठन किया गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय भूमि और तटीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा पुलिस व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने, सड़कों, बाड़ लगाने और सीमाओं की फ्लड लाइटिंग जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके ।

11. **सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम।** गृह मंत्रालय के अधीन सीमा प्रबंधन विभाग राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास स्थित दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष विकासात्मक जरूरतों को पूरा करना है। उन गांवों को प्राथमिकता दी जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 0-10 किमी के भीतर स्थित हैं और इसके भीतर सीमा रक्षक बलों द्वारा चिन्हित गांवों को उच्च प्राथमिकता मिलती है और उन्हें रणनीतिक गांवों के रूप में जाना जाता है । 0-10 किमी गांवों के संतृप्ति के बाद ही राज्य सरकारें 0-20 किमी की दूरी के भीतर गांवों का अगला सेट शुरू कर सकती हैं।

12. सीमाओं की सुरक्षा के भौतिक साधन। सीमाओं की सुरक्षा के विभिन्न साधन हैं:-

(a) **BOPs**. सीमा की रखवाली करने वाले कामकों को समायोजित करने के लिए, नियमित गश्ती भेजने के लिए और आसपास के गांवों के साथ बातचीत करने के लिए, Border Out Posts (BOPs) की स्थापना की गई है । वर्तमान में, भारत-पाकिस्तान सीमा पर 609 BOPs, भारत-नेपाल सीमा पर 436 BOPs, भारत-भूटान सीमा पर 127 BOPs और बांग्लादेश सीमा पर 802 BOPs है । आदर्श इंटर BOP दूरी 2.5 किमी होने की सिफारिश की जाती है।

(b) **COBs**. भारत-म्यांमार सीमा के साथ, असम राइफल्स Company Operating Bases (COB) में तैनात हैं और BOP प्रणाली के अनुसार नहीं । इन कंपनियों को प्रवेश/एग्रेस के सभी रास्तों पर तैनात किया जाता है और घुसपैठ, हथियारों की तस्करी, गोला-बारूद, ड्रग्स, जाली नोट आदि को रोकने के लिए जिम्मेदार हैं ।

(c) **Integrated Check Posts (ICP)**. सीमा चौकियों पर बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रयासों के हिस्से के रूप में, भारत Integrated Check-Posts (ICPs) की रचना कर रहा है । ICP के अंदर आव्रजन, सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा जैसी सभी नियामक एजेंसियों को समायोजित होने की संभावना है । यह दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ

DGNCC

एक पद होगा जो सीमा पार व्यापार और लोगों की आवाजाही को अधिक कुशलता और सुचारू रूप से सुगम बनाएगा ।

(d) दिन और रात गश्त - पैदल/ वाहन घुड़सवार गश्ती।

(e) इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल निगरानी उपकरणों का उपयोग।

(f) बाड़ और फ्लड लाइटिंग।

(g) **<u>फ्लैग मीटिंग्स।</u>** एक फ्लैग मीटिंग मूल रूप से एक बैठक है जो स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्षों के कमांडरों द्वारा सीमा पर या नियंत्रण रेखा या एलएसी पर आयोजित की जाती है । छोटे मुद्दों पर स्थानीय या उच्च स्तर पर फ्लैग मीटिंग आयोजित की जा सकती है । ये बैठक नियमित पूर्व व्यवस्थित अंतराल पर आयोजित की जाती है या विशेष फ्लैग मीटिंग हो सकती है।

<u>भाग-2 - तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा स्थापना और प्रबंधन</u>

13. **<u>तटीय सुरक्षा संगठन।</u>** मुंबई आतंकी हमले के बाद वर्ष 2009 में देश के तटीय सुरक्षा संगठन को नया रूप दिया गया था। भारत सरकार द्वारा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने पर एक राष्ट्रीय समिति भारत सरकार के स्तर पर बनाई गई थी। केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर विभिन्न पहल की गई ताकि एक जीवंत तटीय सुरक्षा संगठन सुनिश्चित किया जा सके, । राज्य स्तरों पर तटीय सुरक्षा संबंधी एक शीर्ष समिति तैयार की गई थी, जिसे सभी राज्यों के मुख्य सचिव के साथ सी-इन-सी तटीय रक्षा के रूप में भी जाना जाता है, सभी नौसेना कमानों के एफओसी-इन-सीएस द्वारा नियंत्रित किया गया था।

14. **<u>तटीय सुरक्षा में विभिन्न हितधारक।</u>** समुद्री पर्यावरण में गतिविधियों का क्षेत्र विशाल है और निम्नलिखित एजेंसियां देश की तटीय सुरक्षा में हितधारक हैं: -

(a) भारतीय नौसेना।

(b) तटरक्षक।

(c) राज्य मरीन पुलिस।

(d) Customs.

(e) मछुआरे।

(f) पोर्ट अधिकारियों।

(g) केंद्र और राज्य सरकार के विभाग।

15. एक दूसरे की ताकत के साथ-साथ सीमाओं की समझ, सीमित संसाधनों के इष्टतम दोहन द्वारा मूर्ख सबूत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस बहुएजेंसी वातावरण को सहयोग की आवश्यकता है।

16. **<u>तटीय सुरक्षा के प्रति विभिन्न एजेंसियों की भूमिका।</u>** तटीय सुरक्षा में शामिल विभिन्न एजेंसियों की भूमिका नीचे प्रतिपादित है: -

(a) **<u>भारतीय नौसेना।</u>** भारतीय नौसेना राष्ट्र की समग्र तटीय रक्षा के लिए उत्तरदायी है। सभी कमानों के एफओसी-इन-सीएस को उनके ऑपरेशन क्षेत्र के आधार पर देश के समुद्र तट की तटीय सुरक्षा के लिए सी-इन-सी तटीय रक्षा के रूप में भी नामित किया गया है ।

(b). **<u>भारतीय तटरक्षक बल।</u>** भारतीय तटरक्षक बल तटीय पुलिस द्वारा गश्त किए जाने वाले क्षेत्रों सहित प्रादेशिक जल क्षेत्रों में तटीय सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। तटीय सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों में केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए आईसीजी को उत्तरदायी बनाया गया है।

(c). **<u>तटीय समुद्री पुलिस ।</u>** राज्य समुद्री पुलिस को पुलिस से एडीजीपी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में तटीय सुरक्षा समूह भी कहा जाता है । समुद्री पुलिस भारत के तट पर समुद्र तटों, मछली पकड़ने की बस्तियों और अंतर्देशीय जल पर निगरानी रखती है ।

(d) **<u>क्षेत्रीय तटीय सुरक्षा ऑप्स सेंटर ।</u>** जलक्षेत्र के भीतर तटीय सुरक्षा में शामिल सभी एजेंसियों के बीच समन्वय के लिए इन केंद्रों पर तटीय सुरक्षा अभियानों से संबंधित सभी जानकारियों का विश्लेषण किया जाता है ।

(e) ज्वाइंट ऑपरेशंस सेंटर (जेओसी) । सभी नौसेना कमानों के मुख्यालय में संयुक्त ऑपरेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। जेओसी संयुक्त रूप से नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा संचालित किया जाता है । यह मुख्य रूप से सभी हितधारकों के साथ तटीय सुरक्षा नेटवर्क का समन्वय करता है ।

DG NCC

17. **<u>Operational Philosophy</u>.** समुद्री एजेंसियां हमारे समुद्री पड़ोसियों के साथ अपतटीय विकास परिसंपत्तियों और समुद्री सीमा क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देते हुए भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्री परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं । संवेदनशील क्षेत्रों और

बिंदुओं में अंतरराष्ट्रीय समुद्री बोर्डर लाइन, औद्योगिक केंद्र, पर्यटन केंद्र, परमाणु प्रतिष्ठान, रक्षा सेटअप, क्रीक क्षेत्रों और द्वीप क्षेत्रों को सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है, जिसके लिए सुरक्षा एजेंसियों के प्रयासों की एकाग्रता की आवश्यकता होती है ।

18. **<u>स्तरीय सुरक्षा तंत्र-जिम्मेदारी के क्षेत्र।</u>** तटीय सुरक्षा उद्देश्य के लिए, तटीय निगरानी के लिए एक त्रिस्तरीय सुरक्षा तंत्र का पालन करना:-

(a) **<u>Base line up to 12 NM</u>**. तटीय सुरक्षा के लिए उपलब्ध तटीय समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क, सीआईएसएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा गश्त की जाएगी।

(b) **<u>Base line up to 200 NM</u>.** तटीय समुद्री पुलिस, सीमा शुल्क और सीआईएसएफ के लिए क्षेत्र सहित भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गश्त की जाएगी।

(c) **<u>Beyond 200 NM</u>.** भारतीय नौसेना द्वारा गश्त की जाएगी।

19. **<u>तटीय निगरानी।</u>** नौसेना और तटरक्षक बल की सतह इकाइयों और वायु परिसंपत्तियों के माध्यम से नियमित आधार पर तटीय निगरानी की जाती है। नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा नियमित रूप से समुद्री चौकसी, 'त्रिशूल', नेपच्यून आदि जैसे नियमित तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किए जाते हैं, जिनमें सभी हितधारकों को नियमित आधार पर शामिल किया जाता है।

20. **<u>तटीय निगरानी नेटवर्क।</u>** उच्च संवेदनशीलता और उच्च यातायात घनत्व वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए द्वीप क्षेत्रों सहित भारत के तट के साथ 46 स्थलों पर तटीय निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है। मुख्य भूमि के साथ प्रकाश घरों पर रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर, रिमोट वीएचएफ और मौसम विज्ञान उपकरण के रूप में तटीय निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया है ।

<u>भाग 3 - वायु सेना स्टेशनों की सुरक्षा स्थापित और प्रबंधन</u>

21. **<u>वायु सेना स्टेशनों के घटक।</u>** एक वायु सेना स्टेशन पर स्थापित सुरक्षा को समझने के लिए, आइए एक ठेठ वायु सेना स्टेशन और विमानों के साथ एक आधार में मौजूद इकाइयों के प्रकार का एक उदाहरण लेते हैं । रनवे के साथ एक वायु सेना स्टेशन में विमानों (लड़ाकू/परिवहन/हेलीकॉप्टर/यूएवी) के एक या अधिक स्क्वाड्रन होंगे, इसमें एक ईंधन भंडारण डिपो, हथियार भंडारण क्षेत्र, सिग्नल/संचार इकाइयां, इंजीनियरिंग इकाइयां, लॉजिस्टिक्स डिपो, छोटे हथियारों के लिए शस्त्रागार, बेस डिफेंस के लिए हथियार प्रणालियां, रडार और अन्य

स्क्वाड्रन और दैनिक सहायता में शामिल इकाइयां होंगी । सभी ठिकानों मानव और मनुष्यों द्वारा संचालित कर रहे है उंहें समान रूप से महत्वपूर्ण लक्ष्य बना ।

22. वायु सेना स्टेशन की सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी Chief Administrative Officer (CAdmO) की है ।

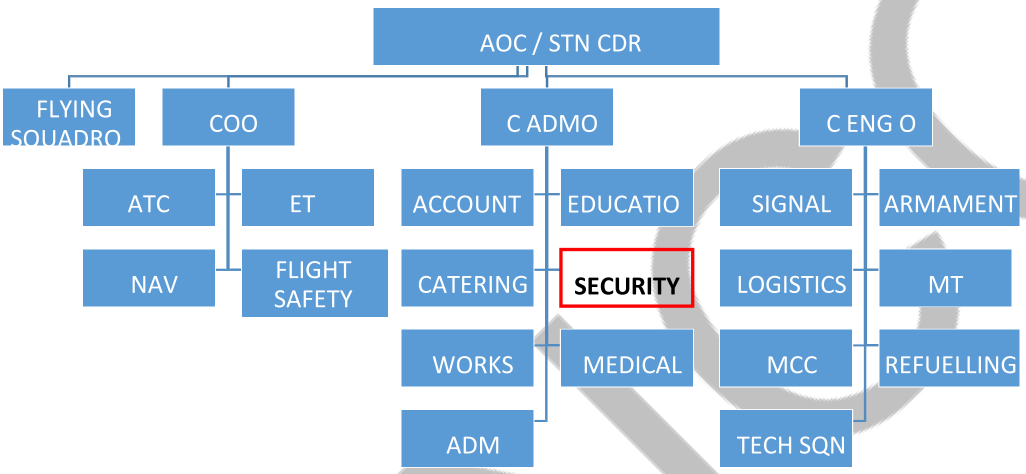

23. उन्हें स्टेशन सुरक्षा अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जिनके पास सुरक्षा सेटअप के उचित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए उनके अधीन एयरमैन की एक समर्पित टीम है ।

24. सुरक्षा में सहायता के लिए स्टेशन पर तैनात रक्षा सुरक्षा कोर का एक तत्व भी है । रक्षा सुरक्षा कोर की संख्या स्टेशन के आकार, वहां स्थित परिसंपत्तियों और समग्र वायु सेना सेटअप में स्टेशन के महत्व पर निर्भर करती है । रक्षा सुरक्षा कोर के कर्मी रिटायर्ड आर्मी के जवान हैं, जिन्हें इस संगठन में रिप्रजेंट किया जाता है।

25. उपरोक्त के अलावा, कुछ स्टेशनों में विशिष्ट भारतीय वायु सेना गरुड़ कमांडो विशेष बलों का तत्व भी है।

26. बाहरी परिधि की दीवार पर रक्षा सुरक्षा कोर कर्मियों का पहरा है। समर्पित सुरक्षा गुम्मट घुसपैठियों के लिए एक तलाश रखने के लिए गार्ड के लिए सुविधाजनक बिंदुओं पर बनाया जाता है। वायु सेना स्टेशन के अंदर महत्वपूर्ण स्थानों और प्रतिष्ठानों पर रात के समय भारतीय वायु सेना के कर्मियों (एयरमैन) द्वारा पहरा दिया जाता है । गरुड़ कमांडो नियमित रूप से परिधि की दीवार के बाहर रात या दिन गश्ती का संचालन करते हैं। भारतीय वायु सेना (पी) रात के करीब घंटे में सभी गार्ड चौकियों की जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित

किया जा सके कि सभी गार्ड सतर्क रहें और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ।

27. स्टेशन में प्रवेश करने वाले सभी कर्मियों (अधिकारी, एयरमैन या नागरिक) को उनकी पहचान के लिए मुख्य द्वार पर अच्छी तरह से चेक किया जाता है । नागरिकों को प्रवेश के दौरान उनके विवरण और काम की प्रकृति को नोट करने के बाद दैनिक पास के साथ जारी किया जाता है । बाहर निकलने के दौरान पास वापस एकत्र किए जाते हैं। इस प्रकार स्टेशन में प्रवेश करने और छोड़ने वाले लोगों का रिकार्ड रखा जाता है।

28. स्टेशन सुरक्षा अधिकारी क्षेत्र की स्थानीय पुलिस और गांव के सरपंचों के साथ घनिष्ठ समन्वय बनाए रखता है। स्टेशन पर खतरों और अज्ञात संदिग्ध लोगों की आवाजाही के बारे में बहुमूल्य जानकारी का आदान-प्रदान करने के लिए नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

DG NCC